CURRENT AFFAIRS | HINDI

(24– 30 DEC 2022)

वर्षांत समीक्षा: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

याद रखने योग्य बिंदु:

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने **मिशन लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट** का शुभारम्भ किया
- भारत ने सीओपी-27 में **दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति** पेश की
- यूएनएफसीसीसी सीओपी27 का **'शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान'** शीर्षक वाले आवरण के फैसले से 'जलवायु परिवर्तन के समाधान निकालने के प्रयासों के लिए टिकाऊ जीवन शैली और उपभोग एवं उत्पादन की एक टिकाऊ व्यवस्था की दिशा में बदलाव के महत्व' का पता चलता है
- **भारत में फिर से आए चीता**, यह नामीबिया से भारत के लिए आठ चीतों का पहला ऐतिहासिक जंगल से जंगल के लिए अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण है
- भारत ने आजादी के 75वें वर्ष में एशिया का **सबसे बड़ा रामसर स्थल नेटवर्क** स्थापित किया

<u>लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट- लाइफ</u>

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अक्टूबर-नवंबर, 2021 में ग्लासगो में आयोजित सीओपी26 को संबोधित करते हुए दुनिया के सामने **मिशन लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) का आह्वान** किया।
- इसके बाद प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर, 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरस की उपस्थिति में **एकता नगर में मिशन लाइफ का शुभारम्भ** किया था।
- भारत ने लाइफ- लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की विषय वस्तु को मुख्य धारा में लाने पर जोर के साथ सीओपी 27 में भाग लिया था।
- सीओपी 27 में भारतीय पैवेलियन में विभिन्न तरीकों- मॉडलों, ऑडियो विजुअल डिसप्ले, गतिविधियों और इससे इतर हुए 49 कार्यक्रमों में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, यूएन और बहुपक्षीय संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, थिंक टैंकों, निजी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सिविल सोसायटी के संगठनों की भागीदारी के साथ लाइफ की विषय वस्तु पर जोर दिया गया था।
- भारत ने लाइफ की मुहिम के साथ सभी देशों को जुड़ने के लिए आमंत्रित किया, जो जन समर्थक और इस पृथ्वी के हित में किया गया प्रयास है।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य दुनिया को प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे और व्यर्थ के उपभोग सचेत करके और सावधानी से एवं सोच समझकर उपयोग की राह पर ले जाना है।

☞ यूएनएफसीसीसी सीओपी27 के **'शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान'** शीर्षक वाले आवरण से 'जलवायु परिवर्तन के समाधान निकालने के प्रयासों के लिए टिकाऊ जीवन शैली और उपभोग एवं उत्पादन की एक टिकाऊ व्यवस्था के लिए बदलाव के महत्व' का पता चलता है।

लाइफ पर INDIA @ CoP27:

- **"लाइफ की धारणा की समझ।"-** कार्यक्रम के दौरान, एमओईएफसीसी-यूएनडीपी संग्रह 'प्रयास से प्रभाव तक' का विमोचन किया गया।
- **"इन अवर लाइफटाइम" अभियान** - 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को स्थायी जीवन शैली के संदेशवाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। इस अभियान में दुनिया भर के उन युवाओं को मान्यता देने की कल्पना की गई, जो लाइफ की अवधारणा के अनुरूप अहम जलवायु से जुड़े काम करने की पहल कर रहे हैं।
- **"परिवर्तनकारी हरित शिक्षा: भारत से अनुभव" (ट्रांसफर्मेटिव ग्रीन एजुकेशन : एक्सपीरिएंसेस फ्रॉम इंडिया)** - साधनों और विधियों के जरिये बच्चों के बीच पर्यावरण के लिए टिकाऊ जीवनशैली को प्रोत्साहन देने की जरूरत को रेखांकित किया गया।
- **हिमाद्रि एनर्जी इंटरनेशनल, शक्ति सस्टेनेबिल एनर्जी फाउंडेशन और रिन्यू पावर सहित तीन संगठनों ने मिलकर लाइफ की विषय वस्तु पर आधारित ऊर्जा संक्रमण पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया** इसमें निम्न-कार्बन प्रणाली की ओर संक्रमण पर जोर दिया गया, जिसमें पर्यावरणीय लाभों पर करीब से नजर डालने, आजीविका के न्यूनतम नुकसान के लिए नीतिगत हस्तक्षेप और एक कुशल कार्यबल तैयार करने की आवश्यकता के साथ ही सतर्क और महत्वाकांक्षी होने की आवश्यकता है। इसके निष्कर्षों में से एक निम्न-कार्बन लक्ष्यों को विकास से संबंधित लक्ष्यों के साथ एकीकृत करना था जो जलवायु लक्ष्यों के दीर्घकालिक निरंतर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।
- **विकासशील देशों में लाइफ मूवमेंट को सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण" कार्यक्रम** - इस कार्यक्रम में विशिष्ट वित्तीय साधनों का प्रस्ताव किया गया। इसमें वे साधन भी शामिल हैं जो कई बाजारों में मानकीकृत समाधान प्रदान करते हैं और जो विशिष्ट विकासशील देशों में विशेष जोखिमों को दूर करने के लिए पहले से तैयार किए गए समाधान हैं।

<u>सर्कुलर इकोनॉमी- अपशिष्ट से संपदा को प्रोत्साहन</u>

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15.08.2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत की "मिशन सर्कुलर इकोनॉमी" की पहल का उल्लेख किया।
- **सर्कुलर इकोनॉमी कार्ययोजनाओं के लिए अपशिष्ट की 10 श्रेणियों में बांटा गया है** -
  - ☞ लिथियम ऑयन बैटरियां
  - ☞ ई-अपशिष्ट
  - ☞ विषाक्त और खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट
  - ☞ स्क्रैप धातु (लौह और अलौह)
  - ☞ टायर और रबड़
  - ☞ वाहनों का जीवनकाल खत्म होना
  - ☞ जिप्सम
  - ☞ प्रयुक्त तेल
  - ☞ सोलर पैनल
  - ☞ नगरीय ठोस अपशिष्ट
- अपशिष्ट की चार श्रेणियों **प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट, बैटरी वेस्ट, ई-वेस्ट और वेस्ट टायर** के लिए बाजार आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) सिद्धांत पर विनियमन अधिसूचित किए गए हैं।
  - ☞ 21.07.2022 को "अपशिष्ट टायर के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर), 2022।"
  - ☞ 16.02.2022 को "प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ईपीआर पर दिशानिर्देश।"
  - ☞ 22.08.2022 को "बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022।"
  - ☞ 02.11.2022 को "ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022।"

अपशिष्ट से संपदा मिशन/ मिशन सर्कुलर इकोनॉमी से लाभ:

- नए कारोबारी मॉडल तैयार होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
- इससे अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण भी होगा।

- अपशिष्ट से संपदा मिशन को सफल बनाने के लिए उद्योग जगत की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
- इसके परिणाम स्वरूप बिना सोचे-समझे उपभोग से सावधानी पूर्वक उपयोग की ओर रुझान बढ़ेगा।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए मिशन लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के विजन को हासिल करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एमओईएफएंडसीसी) 10 जनवरी, 2019 से भारत में एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) कार्यान्वित कर रहा है, जो शहर और क्षेत्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कार्यों की रूपरेखा तैयार करने वाली राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है।
- शहरी कार्य योजना में वर्णित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए एनसीएपी और एक्सवीएफसी के तहत अभी तक 131 शहरों के लिए 7,100 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
- शहरी कार्य योजनाएं शहरों द्वारा उन गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए तैयार की जाती हैं जो वायु गुणवत्ता में सुधार में सहायता करती हैं।
- एमओईएफएंडसीसी ने 7 सितंबर 2021 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ हवा दिवस के अवसर पर एनसीएपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल "प्राण" का भी शुभारम्भ किया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के उद्देश्य:

- वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अपशिष्ट और बायोमास डंपिंग
- जलाने से उत्सर्जन को कम करना
- सड़क की धूल को कम करना
- निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन
- क्षमता निर्माण और निगरानी नेटवर्क

- एनसीएपी के तहत शहरों की रैंकिंग के लिए शहरों को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण दिशानिर्देश जारी किए गए हैं- भुवनेश्वर, ओडिशा में वायु सम्मेलन के दौरान 3 दिसंबर 2022 को 9 शहरों को 5 लाख रुपये नकद पुरस्कार के साथ पुरस्कृत किया गया।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में जलवायु की दिशा में किए गए प्रयासों और भारत की अग्रणी भूमिका की सराहना की है
  - भारत सरकार ने एक विस्तृत विस्तृत रिपोर्ट जमा की है और न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया है कि मंत्रिमंडल ने भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को मंजूरी दे दी है। यह 2070 तक शुद्ध-शून्य स्थिति तक पहुंचने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक कदम है।
  - न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया कि मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रधानमंत्री के सीओपी-26 में जलवायु लक्ष्य में बढ़ोतरी के ऐलान के अनुरूप है और भारत अब 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद से उत्सर्जन की तीव्रता को 45 प्रतिशत तक घटाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मलेन (यूएनएफसीसीसी) का पेरिस समझौता

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मलेन (यूएनएफसीसीसी) के पेरिस समझौत के अनुच्छेद 4, पैरा 19 में कहा गया है, "सभी पक्षों को दीर्घावधि में ग्रीनहाउस गैस के कम-उत्सर्जन पर आधारित विकास रणनीतियों को तैयार करने और संवाद करने का प्रयास करना चाहिए और अनुच्छेद 2 के आलोक में विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनी सामान्य, लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

उपरोक्त के सन्दर्भ में भारत की पहल:

- भारत ने यूएनएफसीसी के 27वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी-27) में अपनी दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति का शुभारम्भ किया।
- भारत उन 60 से भी कम देशों की सूची में शामिल हो गया, जिन्होंने यूएनएफसीसीसी में अपने एलटी एलईडीएस जमा कर दिए हैं।

- **भारत का दृष्टिकोण, निम्नलिखित चार प्रमुख विचारों पर आधारित है, जो इसकी दीर्घकालिक कार्बन कम-उत्सर्जन विकास रणनीति को रेखांकित करते हैं-**
  - ☞ भारत ने ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कम योगदान दिया है
  - ☞ दुनिया की आबादी का 17 प्रतिशत हिस्सा मौजूद होने के बावजूद, संचयी वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन में इसका ऐतिहासिक योगदान बहुत कम रहा है
  - ☞ भारत, विकास हेतु कम-कार्बन रणनीतियों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप सक्रिय रूप से इनका अनुसरण कर रहा है
  - ☞ भारत को जलवायु के प्रति लचीला होना

एलटी-एलईडीएस का उद्देश्य:

- अगस्त में घोषित भारत के जलवायु लक्ष्यों या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी) से आगे निकलना
- 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से भारत की कुल 50 प्रतिशत स्थापित बिजली क्षमता हासिल करना
- 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तरों से 45 प्रतिशत तक घटाना 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य सहित
- ग्लासगो में यूएनएफसीसीसी की 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी26) के भारत के पंचामृत (पांच अमृत तत्वों) पर आगे बढ़ना है।

भारत का एलटी-एलईडीएस निम्न-कार्बन विकास के लिए सात प्रमुख बदलावों पर आधारित है-

- बिजली व्यवस्था
- परिवहन व्यवस्था
- शहरीकरण
- औद्योगिक व्यवस्था
- सीओ2 हटाने
- वानिकी
- निम्न कार्बन विकास के आर्थिक और वित्तीय पहलू

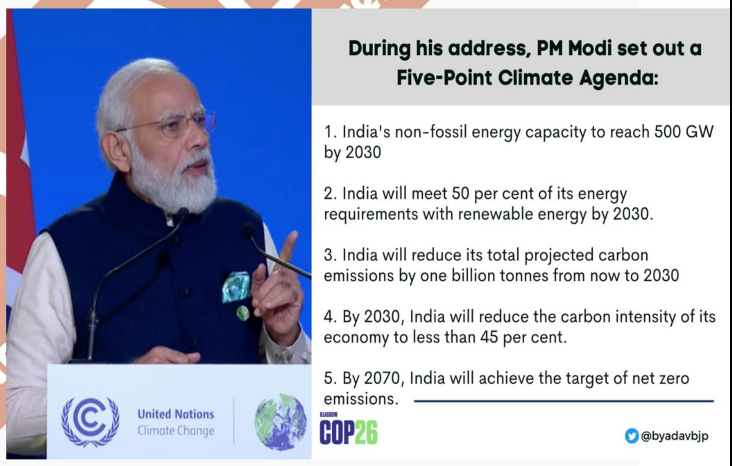

<u>भारत में चीता का आना</u>

- भारत के जंगल में आखिरी चीता 1947 में देखने को मिला था, जहां छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के साल (शोरिया रोबस्टा) जंगलों में तीन चीतों को गोली मार दी गई थी।
- **भारत में चीतों के विलुप्त होने के मुख्य कारण:**
  - ☞ जंगली जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार
  - ☞ इनाम और खेल के लिए शिकार
  - ☞ व्यापक निवास स्थान परिवर्तन
- **1952 में सरकार ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था।**

भारत में चीता आने का रास्ता:

- भारत सरकार ने नामीबिया गणराज्य के साथ जी2जी परामर्श बैठकें शुरू कीं, जिनका चीता संरक्षण के लिए 20 जुलाई 2022 को दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के रूप में समापन हुआ।
- एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद, एक ऐतिहासिक पहल के रूप में जंगल से जंगल अंतरमहाद्वीपीय हस्तांतरण में, आठ चीतों को 17 सितंबर, 2022 को नामीबिया से भारत भेजा गया था।

भारत में चीता लाने का लक्ष्य:

- भारत में चीता की पेशकश का लक्ष्य व्यवहार्य चीता आबादी स्थापित करना है जिससे चीता को एक शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी कार्यात्मक भूमिका निभाने की अनुमति मिलती है और चीता को उसकी ऐतिहासिक सीमा के भीतर विस्तार के लिए जगह मिलती है। इससे उसके वैश्विक संरक्षण प्रयासों में योगदान होगा।
- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य खुले जंगल और सवाना घास के मैदान को बहाल करना है। इन पारिस्थितिक तंत्रों से जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं लाभान्वित होंगी। इसके अलावा, यह परियोजना स्थानीय सामुदायिक आजीविका को बढ़ाने के लिए पर्यावरण-विकास और पर्यावरण-पर्यटन का अवसर प्रदान करती है।

<u>भारत ने आजादी के 75वें वर्ष में एशिया के सबसे बड़े रामसर स्थल नेटवर्क की स्थापना की</u>

- भारत ने रामसर कन्वेंशन के ढांचे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में 10 आर्द्रभूमि जोड़ी हैं, जिससे अपनी आजादी के 75वें वर्ष में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अविश्वसनीय रूप से 75 हो गई, जो एशिया में सबसे अधिक है।

पृष्ठभूमि:

- भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन की पुष्टि की थी। कोयलदेव राष्ट्रीय पार्क (राजस्थान में) और चिल्का (ओडिशा में) दो शुरुआती स्थल हैं, जिन्हें भारत सरकार ने रामसर सूची में शामिल किया था।
- 1990 तक, इस सूची में सिर्फ चार नए स्थल शामिल किए गए थे और इसके बाद दो दशकों में 20 अन्य शामिल किए गए।
- 2014 के बाद रामसर साइट को एमओईएफसीसी से खासा नीतिगत प्रोत्साहन दिया गया है और 49 आर्द्रभूमि इस सूची में जोड़ी जा चुकी हैं।
- भारतीय रामसर स्थलों के नेटवर्क में वर्तमान में 1.33 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है, जो देश के ज्ञात आर्द्रभूमि का लगभग 8 प्रतिशत है।

रामसर साइट्स:

- यह आर्द्रभूमि का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बनाती हैं जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- कन्वेंशन से निर्धारित **नौ मानदंडों** में से कम से कम एक को पूरा करने से इन साइट्स के अंतर्राष्ट्रीय महत्व का संकेत मिलता है।

मानदंड: रामसर साइट होने के लिये नौ मानदंडों में से एक को पूरा किया जाना चाहिये।

- **मानदंड 1:** यदि इसमें उपयुक्त जैव-भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक या निकट-प्राकृतिक आर्द्रभूमि प्रकार का प्रतिनिधि, दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण है।
- **मानदंड 2:** यदि यह कमज़ोर, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन करता है।
- **मानदंड 3:** यदि यह किसी विशेष जैव-भौगोलिक क्षेत्र की जैविक विविधता को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण पौधों और/या पशु प्रजातियों की आबादी का समर्थन करता है।
- **मानदंड 4:** यदि यह पौधों और/या पशु प्रजातियों को उनके जीवन चक्र में एक महत्त्वपूर्ण चरण में समर्थन देता है या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान आश्रय प्रदान करता है।
- **मानदंड 5:** यदि यह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलपक्षियों का समर्थन करता है।
- **मानदंड 6:** यदि यह नियमित रूप से एक प्रजाति या वाटरबर्ड की उप-प्रजाति की आबादी में 1% व्यक्तियों का समर्थन करता है।
- **मानदंड 7:** यदि यह स्वदेशी मछली उप-प्रजातियों, प्रजातियों या परिवारों, जीवन-इतिहास चरणों, प्रजातियों की अंतः क्रिया और/या आबादी के एक महत्त्वपूर्ण अनुपात का समर्थन करता है जो आर्द्रभूमि के लाभ और/या मूल्यों के प्रतिनिधि हैं और इस प्रकार वैश्विक जैविक विविधता में योगदान करते हैं।

- ☞ **मानदंड 8:** यदि यह मछलियों, स्पॉन ग्राउंड, नर्सरी और/या प्रवास पथ के लिये भोजन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, जिस पर या तो आर्द्रभूमि के भीतर या अन्य जगहों पर मछली का स्टॉक निर्भर करता है।
- ☞ **मानदंड 9:** यदि यह नियमित रूप से प्रजाति या आर्द्रभूमि-निर्भर गैर एवियन पशु प्रजातियों की उप-प्रजातियों की आबादी के 1% का समर्थन करता है।

- 255.8 मिलियन हेक्टेयर में फैली 2,455 साइट्स के साथ, रामसर साइट्स दुनिया के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करती हैं।

भारत में रामसर साइट्स:

- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 42 भारतीय रामसर स्थलों की जीव विविधता का हालिया संकलन 6200 प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है।
- कई जीव समूहों के लिए, इन आर्द्रभूमियों की ज्ञात विविधता (उदाहरण के लिए, दर्ज स्तनधारी प्रजातियों में से एक तिहाई से अधिक, सरीसृपों का पांचवां हिस्सा और लगभग दो तिहाई ज्ञात पक्षी प्रजातियां) की अहम हिस्सेदारी है।
- सबसे छोटा रामसर स्थल क्षेत्र (वेम्बन्नूर) सिर्फ 19.75 हेक्टेयर का है, जबकि सबसे बड़ा सुंदरबन 0.42 मिलियन हेक्टेयर में फैला है।

भारत की रामसर साइट्स के लिए पहल:

- 1986 से एमओईएफसीसी रामसर स्थलों और अन्य प्राथमिक आर्द्रभूमियों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन में राज्य सरकारों को सहायता के लिए एक राष्ट्रीय योजना (इसे वर्तमान में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना) लागू कर रहा है।
- रामसर स्थलों को आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत कानूनी संरक्षण मिला हुआ है।
- प्रत्येक रामसर साइट के लिए एक प्रबंधन योजना की आवश्यकता होती है जो समझदारीपूर्ण उपयोग की रूपरेखा तैयार करती है।
- ऐसी प्रबंधन योजनाओं को विकसित करने के लिए मंत्रालय ने एक नैदानिक दृष्टिकोण सुझाया है।
- जून 2022 में, मंत्रालय ने देश में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए "समग्र समाज" दृष्टिकोण और शासन ढांचे को रेखांकित करते हुए 'सहभागिता दिशानिर्देश' भी तैयार किए हैं।

चिह्नित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

- भारत ने एकल उपयोग वाली ऐसी प्लास्टिक को बंद करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए ठोस कदम उठाए हैं, जो नष्ट नहीं होती है और इसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **अप्रबंधित और बिखरे हुए प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए सरकार की तरफ से अपनाई गई रणनीति के दो स्तंभ हैं -**
  - एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध, जिनमें कूड़ा बनने की अधिक संभावना और कम उपयोगिता है
  - प्लास्टिक पैकेजिंग पर उत्पादक पर को ज्यादा जिम्मेदारी देना।

1 जुलाई 2022 से चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध को 12 अगस्त 2021 को अधिसूचित किया गया था।

प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में ये वस्तुएं शामिल हैं-

- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड
- गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक
- प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक
- आइसक्रीम स्टिक
- सजावट के लिए पॉलीस्टाइरिन (थर्मोकोल)
- प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म
- निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट

- 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर।
- प्लास्टिक के कैरी बैग की मोटाई 75 माइक्रोन (30.09.2011) और 120 माइक्रोन (31.12.2022) तक बढ़ा दी गई।

एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं से लाभ:

- विकल्पों की पेशकश और उपयोग से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, नवाचार को बढ़ावा मिला है और नए व्यापार मॉडल का विकास हुआ है।
- एमएसएमई क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के साथ विकल्पों के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत के विकास में और मदद मिलेगी।

अन्य तथ्य:

- भारत ने 2019 में एकल उपयोग प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की चौथी बैठक में स्वीकार कर लिया गया था।

भारत के बाघ अभयारण्यों को टीएक्स2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार

- यह पुरस्कार उन बाघ अभयारण्यों को दिया जाता है जिन्होंने 2010 से बाघों की संख्या को दोगुना करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है या संरक्षण उत्कृष्टता प्रदर्शित की है।
- एक बाघ संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार टीएक्स2 का आयोजन कंजर्वेशन एश्योर्ड | टाइगर स्टैंडर्ड्स (सीए | टीएस), फॉना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, ग्लोबल टाइगर फोरम, आईयूसीएन इंटिग्रेटेड टाइगर हैबीटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, पैंथेरा, यूएनडीपी लायंस शेयर, वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसायटी और डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइगर्स एलाइव इनीशिएटिव नाम के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कंसोर्टियम ने किया है।
- भारत से, 2020 में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश ने टीएक्स2 पुरस्कार जीता और मानस टाइगर रिजर्व, असम को सीमापार संरक्षण साझेदारी के लिए संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया।
- वर्ष 2021 का टीएक्स2 पुरस्कार सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु को मिला था।

भारत में बाघों की स्थिति:

- देश में 75,000 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैले 53 टाइगर रिजर्व हैं।
- भारत में बाघों की वैश्विक आबादी की तुलना में 70% से अधिक बाघ हैं और उसे दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी रेंज वाले देश का सम्मान प्राप्त है।
- बाघ पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष परभक्षी हैं और बाघों के संरक्षण के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहता है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का संपूर्ण रूप से संरक्षण होता है।

YUVAIAS An Institute for Civil Services Examination Steps to Success

वर्षांत समीक्षा -2022: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि:

- कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 2022-23 में बजट आवंटन बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

रिकॉर्ड खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन:

- खाद्यान्न उत्पादन जनवरी 2022 के 308.65 मिलियन टन से बढ़कर दिसम्बर 2022 में 315.72 मिलियन टन (चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार) हो गया है जो अब तक का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन है।
- तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, बागवानी उत्पादन 2020-21 के दौरान 331.05 मिलियन एमटी था जिसे 2021-22 के दौरान बढ़ाकर 342.33 मिलियन एमटी तक पहुंचा दिया गया। यह भारतीय बागवानी के लिए अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है।

उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी तय करना:

- सरकार ने 2018-19 से अखिल भारतीय भारतीय औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है।
- धान (सामान्य) के लिए एमएसपी जनवरी, 2022 में 1940 रुपये प्रति क्विंटल था जिसे बढ़ाकर दिसम्बर, 2022 में 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
- गेहूं का एमएसपी जनवरी, 2022 के 2015 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर दिसम्बर, 2022 में 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।

खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरूआत- ऑयल पाम:

- एनएमईओ को 11,040 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
- इससे अगले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 हेक्टेयर के साथ ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र आएगा।
- मिशन का ध्यान मुख्य रूप से उद्योग द्वारा सुनिश्चित खरीद से जुड़े किसानों को एक सरल मूल्य निर्धारण फार्मूले के साथ ताजे फलों के गुच्छों (एफएफबी) की व्यवहार्य कीमतें प्रदान करना है।
- यदि उद्योग द्वारा भुगतान किया गया मूल्य अक्टूबर, 2037 तक व्यवहार्य मूल्य से कम है तो केन्द्र सरकार किसानों की व्यवहार्यता अंतर भुगतान के माध्यम से क्षतिपूर्ति करेगी।

पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता

- पीएम-किसान योजना 2019 में शुरू की गई थी जो कि किसानों को 6000 रुपये प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में प्रदान करने वाली आय सहायता योजना है।

परिचय:

- भूमि धारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये 1 नवंबर, 2018 को पीएम-किसान शुरू किया गया था।

वित्तीय लाभ:

- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन समान किस्तों में 6000 रुपए प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।

YUVA IAS An Institute for Civil Services Examination Steps to Success

योजना का दायरा:

- यह योजना शुरू में उन छोटे एवं सीमांत किसानों (SMFs) के लिये थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमिधारक किसानों को कवर हेतु बढ़ा दिया गया।

वित्तपोषण और कार्यान्वयन:

- यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

- पीएमएफबीवाई 2016 में किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कटौती की समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):

परिचय:

- PMFBY को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया तथा इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
- इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को परिवर्तित कर दिया।

पात्रता:

- अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार/जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिये पात्र हैं।

बीमा किस्त:

- इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त/प्रीमियम- खरीफ की सभी फसलों के लिये 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1.5% है।
- वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त 5% है।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर जहाँ यह 90:10 है, इन सीमाओं से अधिक प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है।
- सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यहाँ तक कि अगर शेष प्रीमियम 90% है, तो यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  - ☞ इससे पहले प्रीमियम दर को सीमित करने का प्रावधान था, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को कम दावों के आधार पर भुगतान किया जाता था।
  - ☞ यह ऊपरी सीमा अब हटा दी गई है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमा राशि का दावा प्राप्त होगा।

<u>कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण</u>

- कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण जनवरी, 2022 में 16.5 लाख करोड़ रुपये था, जिसे दिसम्बर, 2022 में बढ़ाकर 18.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 4 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज पर केसीसी के माध्यम से रियायती संस्थागत ऋण का लाभ पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी दिया गया है।
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को शामिल करने पर ध्यान देने के साथ रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया गया है।
- **संस्थागत ऋण** - देश की ग्रामीण वित्तीय प्रणाली को एक ऐसी सुदृढ़ एवं सक्षम ऋण वितरण व्यवस्था की आवश्यकता है जो कृषि और ग्रामीण विकास की बढ़ती हुई विभिन्न ऋण जरूरतों को पूरा कर सके। ग्रामीण ऋण के संवितरण में सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दो महत्वपूर्ण संस्थान है।

किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना

- पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। निम्नलिखित संख्या में किसानों को कार्ड जारी किए गए।

योजना के बारे में:

- 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ में राष्ट्रव्यापी 'राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड' योजना का शुभारंभ किया गया।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किये जाने में राज्यों का सहयोग करना है।
- **इस योजना की थीम है:** स्वस्थ धरा, खेत हरा।
- इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी आयु 40 वर्ष तक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं।
- प्रयोगशाला स्थापित करने में 5 लाख रूपए तक का खर्च आता हैं, जिसका 75 प्रतिशत केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है। स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियाँ, कृषक समूह या कृषक उत्पादक संगठनों के लिये भी यहीं प्रावधान है।
- योजना के तहत मृदा की स्थिति का आकलन नियमित रूप से राज्य सरकारों द्वारा हर 2 वर्ष में किया जाता है, ताकि पोषक तत्त्वों की कमी की पहचान के साथ ही सुधार लागू हो सकें।

देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना

- देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2015-16 में **परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)** शुरू की गई।

'परंपरागत कृषि विकास योजना' (PKVY):

- परंपरागत कृषि विकास योजना को वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था जो 'सतत् कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन' (NMSA) के उप मिशन 'मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन' (Soil Health Management- SHM) का एक प्रमुख घटक है।
- PKVY के तहत जैविक कृषि में 'क्लस्टर दृष्टिकोण' और 'भागीदारी गारंटी प्रणाली' (Participatory Guarantee System- PGS) प्रमाणन के माध्यम से 'जैविक ग्रामों' के विकास को बढ़ावा दिया जाता है।
- 'भागीदारी गारंटी प्रणाली' (Participatory Guarantee System-PGS) और 'जैविक उत्पादन के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम' (National Program for Organic Production- NPOP) के तहत प्रमाणन को बढ़ावा दे रही हैं।

देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए की गयी पहलें:

- नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 123620 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में किसान, नदी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक खेती की है।
- सरकार ने **भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना** के माध्यम से स्थायी प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य खेती की लागत में कटौती करना, किसान की आय में वृद्धि करना और संसाधन संरक्षण और सुरक्षित और स्वस्थ मिट्टी, पर्यावरण और भोजन सुनिश्चित करना है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एमओवीसीडीएनईआर) में **मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट** शुरू किया गया है।
- सस्ती कीमत पर जैविक प्रमाणीकरण की सुविधा और दृष्टिकोण को अपनाने में आसान बनाने के लिए, 2015 के दौरान एक नई **भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) प्रमाणन** शुरू किया गया था। यह पीजीएस प्रणाली दुनिया में अद्वितीय है और दुनिया में सबसे बड़ा सहभागी जैविक प्रमाणन कार्यक्रम है।
- वृहद क्षेत्र प्रमाणन कार्यक्रम के तहत डिफ़ॉल्ट जैविक क्षेत्रों जैसे द्वीप, सुदूरवर्ती, पहाड़ी क्षेत्रों का त्वरित प्रमाणीकरण शुरू किया गया है। इससे छोटे किसान 3 साल की सामान्य प्रमाणन अवधि की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत प्रमाणित उत्पादों का विपणन कर सकेंगे।

- किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमाणीकरण के लिए प्रत्येक किसान के लिए सहायता शुरू की गई है।

एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

- एआईएफ की स्थापना के बाद से, जनवरी, 2022 तक, इस योजना ने देश में 16,000 से अधिक परियोजनाओं के लिए 11,891 करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी, जबकि दिसम्बर, 2022 तक देश में 18,133 से अधिक परियोजनाओं के लिए 13,681 करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी गई।
- योजना के समर्थन से, विभिन्न कृषि बुनियादी ढांचों का निर्माण किया गया और कुछ बुनियादी ढांचे पूर्ण होने के अंतिम चरण में है।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में 2020 में एक राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) शुरू किया गया है।

प्रति बूंद अधिक फसल

- 2015-16 के दौरान प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेतों में पानी के उपयोग की दक्षता को बढ़ाना है।

सूक्ष्म सिंचाई कोष

- नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। 2021-22 की बजट घोषणा में, निधि के कोष को बढ़ाकर 10000 करोड़ रुपये किया जाना था।
- जनवरी, 2022 तक, 12.83 लाख हेक्टेयर में 3970.17 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की मंजूरी दी गई जबकि दिसम्बर, 2022 तक 17.09 लाख हेक्टेयर को कवर करने वाली 4710.96 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

ई-नाम विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना

- यह एक ऑनलाइन ट्रेड पोर्टल है जहाँ किसान देश के किसी भी कोने से अपने उत्पादों के लिये खरीदारों से संबंध स्थापित कर सकता है। इससे न केवल किसानों को उचित मूल्य की प्राप्ति हो सकेगी बल्कि उपभोक्ताओं के हितों को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा।

कृषि उपज रसद में सुधार, किसान रेल की शुरूआत

- रेल मंत्रालय ने विशेष रूप से खराब होने वाली कृषि बागवानी वस्तुओं को लाने-ले जाने के लिए किसान रेल शुरू की। पहली किसान रेल जुलाई 2020 में शुरू की गई थी। जनवरी, 2022 तक 155 रूटों पर 1900 सेवाएं संचालित की गईं, जिन्हें दिसम्बर, 2022 में 167 रूटों पर बढ़ाकर 2359 सेवाएं कर दिया गया।

क्लस्टर विकास कार्यक्रम:

- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, कटाई के बाद, रसद, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एमओएऔरएफडब्ल्यू ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 को सीडीपी के पायलट चरण के लिए चुना गया है। राज्य सरकार की सिफारिश पर, सभी क्लस्टरों के लिए क्लस्टर विकास एजेंसियों की नियुक्ति की गई है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इको सिस्टम बनाना

- जनवरी, 2022 विभिन्न नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई) द्वारा 799 स्टार्टअप्स को अंतिम रूप से चुना गया और दिसम्बर 2022 में उनकी संख्या बढ़कर 1055 स्टार्टअप हो गई।

- दिसम्बर 2022 तक 6317.91 लाख रुपये की अनुदान सहायता संबंधित केपी और आर-एबीआई को डीए और एफडब्ल्यू द्वारा समर्थन के रूप में किस्तों में जारी की गई है, जबकि जनवरी 2022 में यह 3790.11 लाख थी।

<u>कृषि और संबद्ध कृषि-वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि</u>

- पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में, कृषि और संबद्ध निर्यात 2020-21 के 41.86 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2021-22 में 50.24 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है, यानी **की 19.99 प्रतिशत वृद्धि।**
- पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करने वाली प्रमुख वस्तुओं में गेहूं 273.54 प्रतिशत (567.93 से 2121.46 मिलियन अमरीकी डालर), बासमती चावल के अलावा 27.29 प्रतिशत (4810.80 से 6123.82 मिलियन अमरीकी डालर), अवशेष सहित कच्चा कपास 48.43 प्रतिशत (1897.21 से 2816.24 मिलियन अमरीकी डालर), कैस्टर ऑयल 28.16 प्रतिशत (917.24 से 1175.51 मिलियन अमरीकी डॉलर), अन्य अनाज 53.82 प्रतिशत (705.38 से 1085.05 मिलियन अमरीकी डॉलर), कॉफी 41.84 प्रतिशत (719.66 से 1020.74 मिलियन अमरीकी डॉलर), ताजे फल 14.11 प्रतिशत (768.54 से 876.96 मिलियन अमरीकी डॉलर) शामिल हैं।
- अप्रैल-अक्टूबर, 2022 के दौरान कृषि और संबद्ध वस्तुओं का निर्यात 30.21 बिलियन अमरीकी डालर रहा जो 2021-22 की समान अवधि में 11 प्रतिशत की वृद्धि होकर 26.98 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

YUVA IAS
An Institute for Civil Services Examination
Steps to Success

वर्षांत समीक्षा 2022 : पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय

याद रखने योग्य बिंदु:

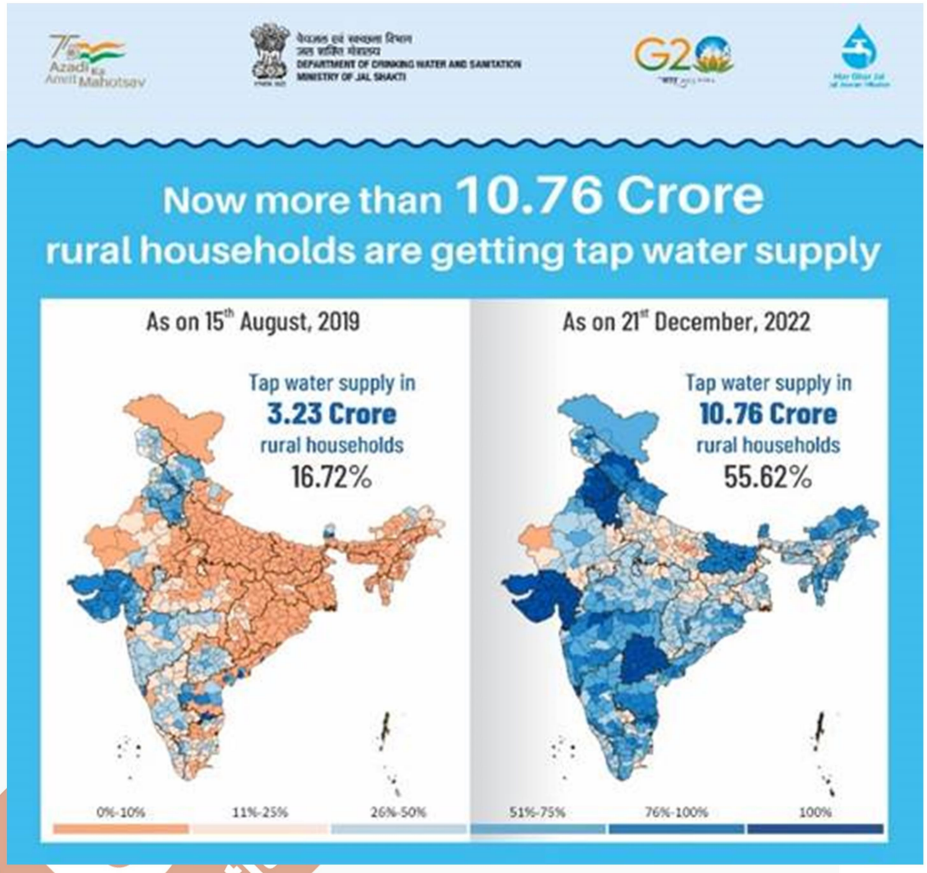

- जीवन मिशन के तहत 10.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पेयजल के कनेक्शन दिए गए
- एसबीएम-जी (द्वितीय चरण) के तहत 2022 में 1 लाख से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया, इसका लक्ष्य 2024-25 तक सभी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में बदलना है
- जल जीवन मिशन (जेजेएम): 2022 की मुख्य विशेषताएं
- जल जीवन मिशन 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल का जल सुविधा प्रदान करने के सरकार के संकल्प को पूरा करने की राह पर है।

प्रमुख तथ्य:

- भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है।
- चार राज्यों अर्थात् गोवा, तेलंगाना, गुजरात तथा हरियाणा और 3 केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को हर घर जल के रूप में दर्ज किया गया है, अर्थात इन राज्यों के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल की आपूर्ति हो रही है।
- पंजाब (99.93%), हिमाचल प्रदेश (97.17%) और बिहार (95.76%) 'हर घर जल' का दर्जा पाने की कगार पर हैं।
- अब तक, देश के 125 जिलों और 1,61,704 गांवों को "हर घर जल" के रूप में दर्ज किया गया है।
- मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला जुलाई, 2022 में भारत का पहला 'हर घर जल' प्रमाणित जिला बना।
- अगस्त, 2022 में गोवा पहला 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव भारत का पहला 'हर घर जल' प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बना।
- सितंबर, 2022 में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला 'स्वच्छ सुजल प्रदेश' बना।

हर घर जल प्रमाणन:

- एक बार जब किसी गांव को 'हर घर जल' घोषित कर दिया जाता है, तो उस गांव की ग्राम पंचायत एक विशेष ग्राम सभा आयोजित करती है और गांव के सभी सदस्यों की सहमति से एक प्रस्ताव पारित करती है कि उनके गांव के सभी घरों, स्कूलों, आंगनवाड़ी और सार्वजनिक संस्थानों में नल का जल कनेक्शन काम कर रहा है और इस तरह खुद को 'हर घर जल प्रमाणित' घोषित करती है। अब तक, 56 जिले, 413 प्रखंड (ब्लॉक), 34,452 पंचायतें, और 49,928 गांव 'हर घर जल' प्रमाणित हैं, मतलब, सभी घरों में नल का जल कनेक्शन है।

जेई-एईएस प्रभावित जिलों में पीने योग्य नल का जल कनेक्शन की उपलब्धता:

- भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में पीने योग्य नल का जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) - एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (1) (एईएस) प्रभावित जिलों को प्राथमिकता देती है। 5 राज्यों में जेई/एईएस से प्रभावित 61 जिलों में, नल का जल कनेक्शन पाने वाले परिवारों की संख्या 8 लाख (2.69%) से बढ़कर 147.14 लाख (49.29%) हो गई जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों की ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ।

आकांक्षी जिलों में पीने योग्य नल का जल कनेक्शन की उपलब्धता

- देश में 112 आकांक्षी जिले हैं जिनमें से 8 जिलों में सभी ग्रामीण परिवारों को 100% नल का जल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है।

सार्वजनिक संस्थानों (स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों) में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान:

- बच्चों के लिए स्वच्छ जल उनकी बेहतरी और समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रहा है, क्योंकि स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों (डे केयर) में प्राथमिकता के आधार पर पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जिससे बच्चों में पानी से संबंधित बीमारियों के मामलों में काफी कमी आएगी।
- शिशुओं और छोटे बच्चों में जल जनित रोगों की संभावना कम होगी और खुले में शौच की समाप्ति के परिणामस्वरूप अतिसार (डायरिया) रोग के कारण बच्चों की मृत्यु की घटनाओं में कमी आएगी।

जल गुणवत्ता निरीक्षण और निगरानी की स्थिति:

- जल गुणवत्ता सुनिश्चित करना जल जीवन मिशन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपूर्ति किया गया पानी पर्याप्त गुणवत्ता का है, इस कार्यक्रम के तहत जल स्रोत और घर तक पहुंचे पानी के नमूनों के नियमित परीक्षण को बढ़ावा दिया जाता है।
- देश में कुल 2,074 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इनमें से 1,005 प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता मिली हुई है।

ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का गठन और ग्राम कार्य योजना (वीएपी):

- इस कार्यक्रम के तहत 5.17 लाख से अधिक ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समितियों का गठन किया गया है।
- पानी समिति स्थानीय जल स्रोतों सहित गांव में जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन और नियमित संचालन और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है।
- अब तक, 5.08 लाख ग्राम कार्य योजनाएं विकसित की गई हैं, जिनमें आवश्यक जल आपूर्ति योजना के प्रकार, लागत अनुमान, कार्यान्वयन कार्यक्रम, ओ एंड एम व्यवस्था और आंशिक पूंजी लागत के लिए प्रत्येक घर से योगदान का विवरण है।

जल जीवन मिशन के लिए धन आवंटन:

- 'हर घर जल' कार्यक्रम के तहत जल जीवन मिशन का अनुमानित परिव्यय 2019-2024 के पांच साल की अवधि के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये है।
- 15वें वित्त आयोग ने जल आपूर्ति और स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया है और 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायत राज संस्थानों (आरएलबी/पीआरआई) को 2.36 लाख करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है।
- तदनुसार, फंड का 60% यानी 1.42 लाख करोड़ रुपये का उपयोग विशेष रूप से पीने के पानी, वर्षा जल संचयन और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांव के स्वच्छता और रखरखाव के लिए किया जाना है।
- देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में यह भारी निवेश आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही गांवों में रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है।
- यह एक प्रगतिशील कदम है जिसके जरिए गांवों को बेहतर स्वच्छता के साथ पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जा रही है।

कौशल निर्माण:

- जेजेएम का उद्देश्य राजमिस्त्री, यांत्रिकी, प्लंबर, पंप ऑपरेटर, तकनीशियन, उपयोगिता प्रबंधकों और जल परीक्षण प्रयोगशाला प्रभारी के रूप में काम करने के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना है।
- देश भर में प्रमुख बुनियादी ढांचे के विकास कार्य के साथ कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रम शक्ति के लिए सभी स्तरों पर रोजगार के बहुत सारे अवसर सृजित हो रहे हैं।
- स्थानीय लोगों को राजमिस्त्री, प्लंबर, पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां (आईएसए):

- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) को शामिल करके पंचायतों को सहायता प्रदान कर रहे हैं ताकि सामुदायिक संघटन के लिए भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन के तहत वीडब्ल्यूएससी के गठन की सुविधा मिल सके, ग्राम कार्य योजना तैयार करने में सहायता और बुनियादी ढांचे के निर्माण के बाद की गतिविधियों को पूरा किया जा सके। इस तरह की सहायता के लिए करीब 14 हजार आईएसए लगे हुए हैं जो सक्रिय रूप से फील्ड में काम कर रहे हैं।

रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम (आरडब्ल्यूपीएम):

- पेयजल और स्वच्छता विभाग ने एक मंच स्थापित किया है, जहां जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र के भागीदारों के साथ विकास भागीदार मिल सकते हैं और एक-दूसरे की मदद करते हुए भारत सरकार तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
- ग्रामीण वॉश पार्टनर्स फोरम का दूसरा कार्यक्रम 2 नवंबर को आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की थी।

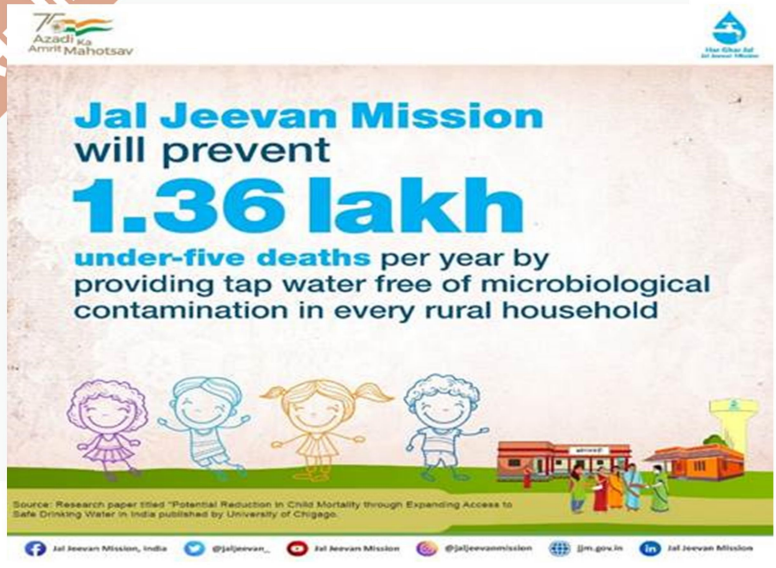

YUVA IAS
An Institute for Civil Services Examination
Steps to Success

जल जनित रोगों में कमी:

- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक ग्रामीण घर तक सुरक्षित और पीने योग्य जल की उपलब्धता के साथ जल जनित बीमारी में भारी कमी आई है। पिछले तीन वर्षों में जल जनित रोगों में कमी का विवरण इसके साथ सारणीबद्ध है।

साल	जलजनित रोग
2019	177 लाख
2020	89 लाख
2021	59 लाख
स्रोत: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र(एनसीडीसी)	

<u>पीने के पानी की आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग</u>

जल जीवन मिशन:

- जल आपूर्ति व्यवस्था की कार्यशील अवधि में सुधार के लिए जलभृत पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, जल निकायों की भंडारण क्षमता में वृद्धि, जलाशयों, डी-सिल्टिंग आदि जैसे स्रोत बनाए रखने के उपायों के कार्यान्वयन
- जल बजट और लेखा परीक्षा
- संचालन और रखरखाव
- गंदा जल प्रबंधन
- जल गुणवत्ता निरीक्षण और निगरानी
- शिविरों में संक्रमणकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले से तैनात आपातकालीन जल आपूर्ति किट
- सौर आधारित जल सौर ऊर्जा का उपयोग जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाए गए कदमों
- एससीएडीए के लिए आईओटी जैसी तकनीकों पर काम के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित रखा है।

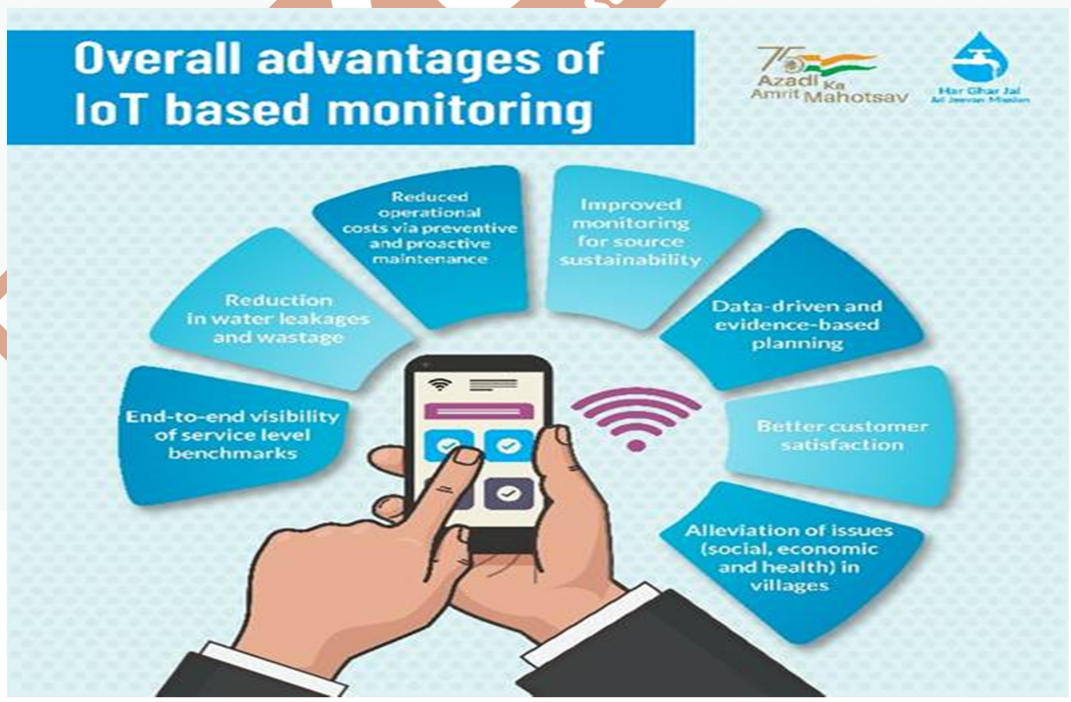

YUVA IAS Institute of Civil Services Examination